

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2092
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पद

†2092. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्रीमती भारती पारधी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का नामांकन लगातार कम हो रहा है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों, विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए रिक्त पदों का राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में ब्यौरा क्या है;
- (घ) इन रिक्त पदों पर नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और
- (ङ.) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) केवि पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम संचालित करने हेतु मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के केन्द्रीय विद्यालयों में नामांकन की संख्या के बारे में ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल नामांकन	केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की संख्या	केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का %
2022-23	1425164	576773	40.47
2023-24	1390517	569390	40.95
2024-25	1356258	568405	41.90

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के नामांकन का समग्र प्रतिशत पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में थोड़ा बढ़ रहा है।

(ग) से (ड) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देशभर के विद्यालयों में रिक्तियों के अनुसार केविसं में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति केन्द्रीय स्तर पर की जाती है। केविसं में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पद	□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□		
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	शिक्षण	5260	745	358	866
2.	गैर-शिक्षण	1393	160	88	258

रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और प्रासंगिक भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाता है। संबंधित-अधिगम प्रक्रिया में बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए केविसं द्वारा अस्थायी अवधि के लिए शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर भी नियुक्त किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत कार्यरत केविसं. सहित सभी स्वायत्त संगठनों को गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए अपने रिक्त पदों को भरने हेतु समय-समय पर निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
